म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / सागर / पार्ट / 1941 भोपाल, दिनांक 14 / 12 / 2017

प्रति,

संयुक्त / उप संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आचंलिक कार्यालय,
भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा।

विषयः–प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों एवं उपमण्डीयों में प्रभावी नियमन व्यवस्था लागू कराने बाबत्।

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों एवं उपमण्डीयो में प्रभावी नियमन व्यवस्था लागू कर क्रियाशील करने के सबंध में समय–समय पर निर्देश दिये गये है। इसकी समीक्षा के दौरान यह पाया गया है, कि प्रदेश की कतिपय उपमण्डी प्रागंणों में आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध होने पर भी नियमित रूप से कृषि उपज का घोष नीलामी द्वारा क्रय–विक्रय नहीं हो रहा है। ऐसी मण्डी / उपमण्डीयॉ में सुचारू नियमन व्यवस्था के अभाव में घोष विक्रय नहीं होने से कृषकों को उनकी उपज का प्रतिस्पार्धात्मक और लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही उपमण्डी क्षेत्र में नियमन प्रभावी रूप से लागू नहीं होने से मण्डी की आय प्रभावित होती है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि विशेष अभियान चलाकर संभाग की सभी उपमण्डी प्रागंणों को क्रियाशील बनाये और वहॉ नियमन को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाये। इसके लिये स्थानीय व्यापारियों को उपमण्डी प्रागंण में खरीदी हेतु प्रोत्साहित किया जाये। जिससे कि उपमण्डी प्रागंण में भी किसानों को लाभकारी मूल्य, सही तोल और नगद भुगतान प्राप्त हो सके।

मुख्यालय स्तर पर आचंलिक संयुक्त संचालक की समीक्षा बैठक में आपके अंचल की मण्डी / उपमण्डीयों को क्रियाशील करवाई जाकर, जानकारी उपलब्ध कराई जाये, जिसके आधार पर आगामी बैठकों में मासिक प्रगति पर चर्चा की जायेगी।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह–प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल।

क्रमांक / बी–6 / नियमन / सागर / पार्ट / 1942 भोपाल, दिनांक / 14 / 12 / 2017

प्रतिलिपिः–

अध्यक्ष / सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)............................... जिला.................... की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करे एवं पालन प्रतिवेदन आंचलिक कार्यालय के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त सह–प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल।